न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 41/2013 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2013/00057

उनवान

1. नेकराम सिंह पुत्र करन सिंह कौम ठाकुर निवासी ग्राम अतर सूमा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
2. हीरा सिंह पुत्र छिंगा } कौम ठाकुर निवासी ग्राम अतरसूमा बसेडी।
3. राजकुवर वेवा नब्बा 'फौत' }
4. मोती सिंह पुत्र नब्बा }
5. कृष्णा देवी पुत्री नब्बा पत्नी रूपकिशोर
6. संजय देवी पत्नि अचल सिंह जाति ठाकुर निवासी हवजपुरा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजू सिंह } पुत्र बहादुर सिंहअकवाम ठाकुरान नि0 ग्राम अतरसूमा तहसील बसेडी
2. राकेश सिंह } जिला धौलपुर।
3. कलावती वेवा बहादुर सिंह
4. आकाश सिंह पुत्र नीरज सिंह कौम ठाकुर नि0 रैवियापुरा तह0 बसेडी जिला धौलपुर।
5. सुलेखा देवी पत्नि नीरज सिंह जाति ब्रा0 नि0 रैवियापुरा तह0 बसेडी जिला धौलपुर।
6. प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा बसेडी।
7. प्रबंधक भूमि विकास बैंक धौलपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी।
9. शीला पत्नि लाखन } अकवाम ठाकुरान निवासी ग्राम रैवियापुरा तहसील बसेडी
10. राजवती पत्नि राजबहादुर }
11. सरदार सिंह पुत्र करन सिंह कौम ठाकुर सामिकन अतरसूमा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी बाडी दि0 31.01.2013(प्रा0)28.05.2013(अन्तिम) प्र.सं. 79/2012 उनवानी राजू सिंह बनाम सरदार सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री योगेश शर्मा उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

निर्णय दिनांक–19.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2013 (प्रारम्भिक) एवं 28.05.2013 (अन्तिम) के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद वास्ते बॅटवारा काश्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 15 कुल रकवा 22 बीघा वाके ग्राम अतरसूमा तहसील बसेडी जिला धौलपुर के रैस्पो0/वादीगण व अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा काबिज होकर संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी का अभी बॅटवारा नहीं हुआ है एवं संयुक्त कब्जा काश्त तथा फसल लेन–देन पर हमेशा विवाद बना रहता है इसलिए रैस्पो0/वादीगण अपने हिस्से को अलग करना मुनासिव समझते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बॅटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई, एक पक्षीय रूप से दिनांक 31.01.2013 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दिनांक 28.05.2013 को अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस हेतु समय की मॉग की। रैस्पो0 को समय दिये जाने पर आपत्ति की एवं बहस सुनाने के साथ–साथ उनके द्वारा लिखित बहस भी पेश की गयी। लिखित बहस की प्रति अपीलाण्ट को दिलाई जाकर, अपनी लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15.06.2018 तक का समय दिया गया। परन्तु अपीलाण्ट की ओर से कोई बहस प्रस्तुत नहीं की गई।

3. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण की उपस्थिति में दिनांक 31.01.2013 को प्रारम्भिक डिक्री करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अपीलाधीन प्रकरण दिनांक 28.05.2013 को उभयपक्ष की सहमति से अन्तिम रूप से निर्णय व डिक्री फरमा दिया। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण की उपस्थिति की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में उनके अधिवक्ता के अंकित हस्ताक्षरो से एवं प्रारम्भिक निर्णय के पेज संख्या 03 के पैरा संख्या 03 से होती है। इस प्रकार अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील अवैध रूप से प्रस्तुत की है। कानूनन सहमति के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपल पोषणनीय नहीं होती है। अपीलाण्ट संख्या 03 राजकुॅवर का निधन अपील प्रस्तुतीकरण से पूर्व ही हो चुका था, जिसको कि अपीलाण्ट स्वयं जरिये प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी अपील में मानते हैं। अतः अपील राजकुंवर के फर्जी हस्ताक्षर कर अवैध रूप से प्रस्तुत की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पेज संख्या 02 के प्रथम पैरा में यह स्पष्ट अंकित है कि विभाजन प्रस्ताव से वकील वादी तथा प्रतिवादी पूर्णतः सहमत हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2013 तथा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा अपीलाधीन दो पृथक–पृथक निर्णय व डिक्री हैं। जिनके विरूद्ध कानूनन एक ही अपील पोषणीय नहीं है पृथक–पृथक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पृथक–पृथक अपील ही पोषणीय होती हैं। वर्तमान अपील दोनों निर्णय व डिक्रियों के विरूद्ध एक ही अपील पोषणीय नहीं होने की वजह से भी विधि विरूद्ध है तथा इस बिन्दु पर भी अपील खारिज योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीरें डीएनजे 2013 पेज 326, 2017(2)(राज) पेज 839, 2016(1)(राज) पेज 201, आरआरटी 2011(2) पेज 786, 2016(2)(एससी) पेज 1380, 2017(1)(एससी) पेज 711, आरआरडी 1968(2) पेज 547 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपील मीमो एवं बहस रैस्पो0 पर मनन किया गया। अपीलाण्ट की आपत्ति का सारांश यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला एवं तहसीलदार बसेडी ने कुर्रे प्रस्ताव, एक पक्षीय रूप से तहसील कार्यालय में ही बैठ कर रैस्पो0 से साज कर गलत बनाये गये हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.04.2013 में स्पष्ट अंकित है कि पक्षकारान द्वारा बॅटवारा किया जाने बाबत् सहमति जाहिर की गयी एवं सहमति बाबत् आदेशिका पर पक्षकारान के अधिवक्तागण के हस्ताक्षर अंकित हैं। इसी प्रकार अन्तिम निर्णय दिनांक 31.01.2013 के द्वितीय पृष्ठ पर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजवीर सिंह एडवोकेट की उपस्थिति अंकित है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि दोनों अपीलाधीन आदेश पक्षकारों की उपस्थिती में पारित हुये हैं। अपीलाण्ट/ प्रतिवादी का अब प्रस्तुत अपील में यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय में उनके सुनवाई का मौका नहीं मिला, सत्यभासी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में अपीलाधीन आदेश पक्षकारों की उपस्थिति एवं सहमति से पारित होना अंकित है। इस तथ्य को तब तक गलत नही माना जा सकता, जब तक इन्हें किसी प्रमाणिक साक्ष्य से गलत सिद्ध नही कर देते। अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट की आपत्ति तथ्यहीन होने के कारण कोई प्रभाव नहीं छोडती है।

5. उपरोक्त के अलावा अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के आदेश दिनांक 31.01.2013 (प्रारम्भिक डिक्री) एंव दिनांक 28.05.2013 (अंतिम डिक्री) के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत, एक ही अपील पोषणीय नही मानी जा सकती है। प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत होनी चाहिए थी। अतः हम न्यायिक नजीर 2013 डीएनजे(रेवेन्यु) पेज 326 के आलोक में, अपील पोषणीय नही होने के कारण भी खारिज योग्य समझते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2013 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official